

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीतापीन अधिकारी। पीयूष समारिया, आईएनएस

प्रकरण संख्या - 28/2025 (Bank Case)

GCMS No.-2025/200

भारतीय स्टेट बैंक जिराका पंजीकृत कार्यालय :- भारतीय स्टेट बैंक भवन, एम.सी. रोड, नरीमन पाइन्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400021 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका एक शाखा कार्यालय तनावग्रस्त आरित वसूली शाखा, तृतीय तल मैट्रिस मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राज) जर्म प्राधिकृत अधिकारी श्री पी.पी. टेकवाणी।
- प्रार्थी / बिक्रेता क्रेडिटर

बनाम

1. Smt. Nitu Vijay W/o Sh. Dinesh Chandra Vijay (Borrower & Mortgagor)
Address: H.no. 4-Q-30, Talwandi, Kota- 324005
2. Sh. Dinesh Chandra Vijay s/o Sh. Dwarka prasad vijay (Co-Borrower)
Address: H.no. 4-Q-30, Talwandi, Kota- 324005
3. Yogendra Kumar Sharma S/o Radha Krishan Sharma (Guarantor)
Address: H.no. 2-O-04, Mahaveer Nagar-III, Kota- 324005

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आरितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक:- 28.01.2026

राक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि भारतीय स्टेट बैंक जिराका पंजीकृत कार्यालय :- भारतीय स्टेट बैंक भवन, एम.सी. रोड, नरीमन पाइन्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400021 में स्थित व कार्यरत है एवं जिसका एक शाखा कार्यालय तनावग्रस्त आरित वसूली शाखा, तृतीय तल मैट्रिस मॉल, सेक्टर-4, जवाहर नगर, जयपुर (राज) में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.11.2019 को रुपये 10,18,000/- (अक्षरे: रुपये दस लाख अठारह हजार मात्र) व दिनांक 22.11.2019 को रुपये 40,00,000/- (अक्षरे: रुपये दस लाख अठारह हजार मात्र) का ऋण इस प्रकार कुल ऋण रुपये 50,18,000/- (अक्षरे: रुपये पचास लाख अठारह हजार मात्र) लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु शिक्कोरिटी के रूप मे श्रीमती नीतू पत्नी श्री दिनेश चन्द्र विजय एवं दिनेश चन्द्र विजय पुत्र श्री द्वारका प्रसाद विजय की एक आवासीय सम्पत्ति म0न0 4-Q-30, तलवण्डी, कोटा- 324005 राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 635.5 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में- रास्ता 9 मीटर चौडा, पश्चिम में- मकान संख्या 4-Q-29, उत्तर में- रास्ता 6 मीटर चौडा, दक्षिण में- मकान संख्या 4-Q-1, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यवितक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 17.01.2024 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी के कुल बकाया रुपये 59,14,403/- रुपये (अक्षरे:- उनषठ लाख चौदह हजार चार सौ तीन रुपये मात्र) दिनांक 18.01.2024 तक व से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.01.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति

का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.01.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 18.01.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये, इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की श्रीमती नीतू पत्नी श्री दिनेश चन्द्र विजय एवं दिनेश चन्द्र विजय पुत्र श्री द्वारका प्रसाद विजय की एक आवासीय सम्पत्ति म0नं0 4-Q-30, तलवण्डी, कोटा- 324005 राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 635.5 वर्ग फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- रास्ता 9 मीटर चौड़ा, पश्चिम में- मकान संख्या 4-Q-29, उत्तर में- रास्ता 6 मीटर चौड़ा, दक्षिण में- मकान संख्या 4-Q-1, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 28.01.2026 को सुनाया गया।

(श्रीयूष सेमारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा,

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)